उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-3075/62-2-2014-14एम0आई0/2014
लखनऊ: दिनांक: 14 जनवरी,2015

कार्यालय ज्ञाप

अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई वाराणसी के कार्यकाल में मनमाने ढंग से कार्य करने, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, शासकीय कार्यो में रूचि न लेने तथा कार्यालय में उपस्थित न होने के लिये श्री जी0सी0 गुप्ता, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, वाराणसी को प्रथम दृष्टया पाये जाने के फलस्वरूप शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-3320/62-2-2014-14एम0आई0/2014, दिनांक: 14 जनवरी,2015 द्वारा उन्हें निलम्बित किया गया है, उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के सम्पादनार्थ विशेष सचिव, लधु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन को जॉच अधिकारी नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि उक्त अधिकारी के विरूद्ध जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर एक माह में जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करायें।

ह0/
चन्द्र प्रकाश ,
प्रमुख सचिव।

सं0-3075(1)/62-2-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- विशेष सचिव, लघु सिचाई विभाग, उ0प्र0 शासन/जॉच अधिकारी, को श्री गुप्ता के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र की दो-दो प्रतियॉ संलग्नकर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह कृपया आरोप पत्र संबंधित अधिकारी को तामील कराकर शासन को अवगत कराये तथा जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या शासन को एक माह में उपलब्ध करायें।

2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- जिलाधिकारी, वाराणसी।

4- संबंधित अधिकारी को मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई के माध्यम से।

5- श्री जी0सी0 गुप्ता, अधिशासी अभियंता को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उनके स्थाई पता- 17/678, इंदिरा नगर, लखनऊ-226016

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in